तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नन्छी देवी बनाम मोहन लाल** **271/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00063)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.03.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र बाबत वापस लेने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा स्टाम्प पर दिनांक 10.01.2019 को लिखया गया जिसको नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 15.01.2019 को तहरीर व तकमील कराया गया है इस राजीनामें की शर्तो के अनुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद शेष नही रहा है एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त इकरारनामें की शर्तो के अनुसार पाबन्द रहते हुए आपसी लोक अदालत की भावना से वाद विवाद का अंतिम रूप से निपटारा कर रहे है एवं उक्त प्रकरण उक्त राजीनामें के अनुसार ही निस्तारण चाहते हुए कोई वाद विवाद नही रखना चाहते है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पत्थरगढी करवाने के लिये सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रंस्तुत कर निवेदन हे कि राजीनामा दिनांक 10.01.2019 जो दिनांक 15.01.2019 को नोटेरी से प्रमाणित को रिकार्ड पर लेकर अपील को वापस (विड्रा) करने के आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाहती है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।	